

प्र.मंत्री मोदी ट्रम्प को क्या “रिटर्न गिफ्ट” देंगे?

ट्रम्प ने “मित्र” मोदी को अमेरिका यात्रा के दो दिन पहले, अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की सरकार के औपचारिक अभियोग पत्र क्रियान्वयन को स्थगित करवाने के आदेश दिये

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 फरवरी। अपने मित्र मोदी को खुश करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक एग्जीक्यूटिव आदेश जारी किया है, जिसमें अडानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत की जाँच के लिए लागू गए 50 साल पुराने कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन की यात्रा पर बुधवार 12 फरवरी को वॉशिंगटन पहुंचेंगे और ट्रम्प का आदेश सोमवार को आया है।

ट्रम्प के आदेश पर कई सवाल उठने की संभावना है, क्योंकि मौजूदा बजट सत्र संसद के विपक्ष अवश्य ही इस मुद्दे को उठाएगा। अब देखा जा रहा है कि इस आदेश के एवज में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प को क्या तोहफा दिया है। इस समय दोनों देशों के बीच ट्रेड और टैरिफ मुद्दे पर गंभीर चर्चा छिड़ी हुई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने अडानी समूह पर 1977 के कानून “फॉरिन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट” लागू पर रोक लगा दी है। यह एक्ट अमेरिकन कम्पनियों का दूसरे देशों में सरकारी मुलाजिमों को बिज़नेस प्राप्त करने के

■ अपनी दो दिवसीय अमेरिका यात्रा में, ट्रम्प व मोदी, व्यापार व टैरिफ के बारे में गंभीर मंथन करेंगे। क्या मोदी को ट्रम्प के तोहफे के एवज में भारत की ओर से भारी “रिटर्न गिफ्ट” तो नहीं देना पड़ेगा? संसद के सत्र के दौरान विपक्ष, इस “रिटर्न गिफ्ट” के मामले को गौर से देख रहा है तथा थोड़ी भी भारी “रिटर्न गिफ्ट” दी गई तो मोदी पर भारी आक्रमण करने का बेसव्री से इंतज़ार कर रहा है।

■ फॉरैन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, जो अमेरिका में 50 साल से लागू है, का मकसद था, अमेरिका की व विदेशी कम्पनियों को रिश्वत देकर, बिज़नेस प्राप्त करने से रोकना। ट्रम्प ने अपने एग्जीक्यूटिव आदेश से इस एक्ट को 180 दिन में रिव्यू करके रिपोर्ट मांगी है तथा जब तक रिपोर्ट नहीं आती, इस एक्ट तहत दर्ज मामलों के क्रियान्वयन को स्थगित रखने के भी आदेश दिये हैं।

■ लगभग आधा दर्जन अमेरिका के कांग्रेसमैन ने भी अमेरिका के नये एटोर्नी जनरल को संयुक्त पत्र लिख कर, यह माँग की कि जब अडानी ग्रुप ने “अपराध” अमेरिका में नहीं किया और उनकी तथ्यांकित गैर-कानूनी गतिविधि से अमेरिका के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तो पूर्व राष्ट्रपति बाइडन ने अमेरिका के पुराने मित्र “भारत” के प्रमुख उद्योगपति के खिलाफ औपचारिक अभियोग पत्र क्यों दाखिल किया। क्या बाइडन भारत-अमेरिका के बीच कड़ुता पैदा करना चाहते थे। इस दृष्टि से भी पूरी जाँच होनी चाहिए।

लिए रिश्वत देने से प्रतिबंधित करता है। ट्रम्प ने अमेरिका की एटोर्नी जनरल पैम वॉन्डी से कहा है कि एफ.सी.पी.ए. के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए जो कि अमेरिका के कई हाई प्रोफाइल केंसों का मूल बिंदु है, जिनमें भारतीय अरबपति

और अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के खिलाफ दर्ज केस भी शामिल है। पिछले साल जब जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी पर आरोप

लगाया था कि वे भारतीय अधिकारियों को सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले में 250 मिलियन डॉलर (लगभग 2,100 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने के षड्यंत्र में शामिल हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटा: एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या की

कोटा, 11 फरवरी (निर्स)। कोटा में जिला सर्वाईमाधोपुर निवासी, नीत की तैयारी कर रहे छात्र ने सुबह फाँसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र दादाबाड़ी इलाके के प्रताप नगर इलाके में पीजी में रहता था। करीब डेढ़ महीने पहले उसने पीजी के पास ही किराए पर कमरा लिया था। दादाबाड़ी थाना सीआई मांगेगलाल यादव के अनुसार, सुबह नौ बजे छात्र के सुसाइड की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत कारणों से सुसाइड करना सामने आया है। थाना अधिकारी ने बताया कि छात्र कोटा के

■ सर्वाई माधोपुर जिले का छात्र नीत की तैयारी कर रहा था और डेढ़ महीने पहले ही पी.जी. के पास कमरा लिया था।

एक कोचिंग सेंटर में नीत की तैयारी कर रहा था। मंगलवार सुबह उसने अपने पिता से मोबाइल पर बात की थी। उसके बाद उसने अपने कमरे में फाँसी लगा ली। वह प्रताप नगर इलाके के मकान में 2 महीने पहले ही रहने आया था। उसकी मौसी का लड़का भी पीजी में रहता है। मौसी का लड़का जब उसके कमरे पर आया तब घटना का पता लगा। इसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को कुछ वॉट्सएप चैट मिली हैं जिसमें आत्महत्या के व्यक्तिगत कारण सामने आए हैं। सूचना पर मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। शव को मोचरी में शिफ्ट करवा दिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा के सदस्य बनेंगे?

पंजाब में फिलहाल सात राज्यसभा सदस्य हैं, किसी एक सदस्य का इस्तीफा दिलाकर केजरीवाल इस सदन का सदस्य बनना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में विधायकों की कम संख्या होने से दिल्ली से राज्यसभा की सीट पाना संभव नहीं लगता

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 फरवरी। आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली में हार के बाद, दो सवाल उठे हैं: पहला, अरविंद केजरीवाल अपने लिए किस तरह की भूमिका तय करेंगे? और दूसरा, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बदल दिया जाएगा? पहले सवाल के बारे में: अगर आप यह निर्णय लेती है कि मान को पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले बदला जाए, तो यह संभावना नहीं के बराबर है कि केजरीवाल उनकी जगह लेंगे। फिलहाल, केजरीवाल 'सुर सीएम' की भूमिका में ज्यादा सहज हैं। केजरीवाल ने पहले से ही पंजाब सरकार में अपने वफादारों को नियुक्त करना शुरू कर दिया है, हाल ही में बिभ्व कुमार को सलाहकार के रूप में राज्य में नियुक्त किया गया है, जिन्हें जैड प्लस सुरक्षा भी प्रदान की गई है। इस घटनाक्रम ने सांसद स्वाति मालीवाल को नाराज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि “गुंडे” को पंजाब भेजा गया है ताकि “राज्य से पैसे लूटे जाएं और उन्हें दिल्ली भेजा

■ राज्यसभा की सदस्यता भी एक कारण है, जिसकी वजह से केजरीवाल पंजाब के मु.मंत्री भगवंत सिंह मान को बदलने के पक्ष में नहीं हैं।

■ जब तक मान पंजाब के मु.मंत्री हैं, केजरीवाल दिल्ली बैठकर पंजाब के “सुपर चीफ मिनिस्टर” का रोल अदा कर सकते हैं।

■ इसीलिये उन्होंने अपने विश्वासी लोगों को पंजाब में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करवाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिये, विभ्व कुमार को पंजाब सरकार में सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है तथा ज़ेड क्लास सुरक्षा प्रदान की गई है।

■ यह दूसरी बात है कि आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल, जिन्होंने विभ्व कुमार पर, उन्होंने केजरीवाल के निवास पर उनसे मारपीट का आरोप लगाया था, ने विभ्व कुमार की नियुक्ति पर कहा कि “गुंडे” को पंजाब भेजा गया है, जिससे वह वहाँ से पैसा लूट कर दिल्ली भेजे।

जाएँ” उल्लेखनीय है कुमार पर स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास में पीटा, कुमार इस पर जेल भी गए थे।

दिल्ली में आप की हार ने पंजाब में राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है, और विपक्षी नेताओं ने आप सरकार को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘आरपीएससी संवैधानिक आयोग है या गूंगी-बहरी संस्था’

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बुधवार तीन बजे तक भर्ती रद्द करने से जुड़ी सभी पत्रावलियाँ पेश करने को कहा

जयपुर, 11 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती गहलोल सरकार के कार्यकाल में हुए एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए आरपीएससी (राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन) की कार्यभाराली पर कड़ी टिप्पणी की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी सी) के जरिए सुनवाई से जुड़े आयोग चैयरमैन से अदालत ने कहा कि आयोग के सदस्य पेपर लीक में शामिल रहे और एक सदस्य की तो दो भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में भूमिका सामने आई, इसके बावजूद भी आयोग ने चुप्पी साधे रखी। यह संवैधानिक आयोग है या गूंगी-बहरी संस्था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में इंडी को भी पक्षकार बना लिया है। अदालत ने मामले को सुनवाई बुधवार को तीन बजे तक की और राज्य सरकार को कहा है कि वे भर्ती रद्द करने से जुड़ी समस्त पत्रावलियाँ अदालत में पेश करें। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह

■ हाई कोर्ट ने आरपीएससी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग के सदस्य पेपर लीक में शामिल रहे, इसके बावजूद आयोग ने चुप्पी साधे रखी।

आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए। सुनवाई के दौरान आरपीएससी चैयरमैन वीसी के जरिए और एसओजी के एडीजी वीके सिंह व्यक्तिशः पेश हुए। अदालत के पृष्ठ ने पर वीके सिंह ने पेपर लीक को लेकर शुरू से लेकर अब तक हुए अनुसंधान की जानकारी की। इस दौरान आयोग के सदस्यों की भूमिका

सामने आने पर अदालत ने आयोग चैयरमैन से सवाल-जवाब किए। अदालत ने चैयरमैन से पूछा कि उनकी ओर से मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। इस पर चैयरमैन ने कहा कि जब मामले का खुलासा हुआ तब तक आयोग सफल अर्थार्थियों को लेकर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेज चुका था। इसलिए उनके हाथ में कुछ नहीं था। इस पर अदालत ने कहा कि उनके दो सदस्यों के नाम पेपर लीक में आए हैं, लेकिन आयोग ने कुछ नहीं किया, आरपीएससी का कोई धणी-धोरी है या नहीं। इस दौरान अदालत ने वीके सिंह को कहा कि आयोग ऐसी संस्था है, जहाँ कुछ भी हो सकता है। इस पर सिंह ने कहा कि पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अदालत ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब जो हो रहा है वह तीन-चार साल बाद सामने आएगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाँक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अश्लीलता करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई

जयपुर, 11 फरवरी। पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ अश्लीलता करने वाले अभियुक्त अजय कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 70 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल ने कहा

■ पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह गंभीर मामला है। अभियुक्त के प्रति सहानुभूति नहीं रखी जा सकती।

कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ गंभीर अपराध किया है। ऐसे में उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखी जा सकती। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीठिता की मां ने 15 मई, 2022 को करघनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी नाबालिग बेटी को अभियुक्त ट्यूशन पढ़ाता है, विक्रेता उसके काम पर जाने के बाद पीठिता ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अब आप “अपनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक” का “प्लास्टिक स्ट्रॉ” से पूर्ण आनन्द लें’

ट्रम्प सदा से “पेपर स्ट्रॉ” के खिलाफ रहे हैं और नारा देते रहे हैं कि “पेपर स्ट्रॉ” बेहूदा तरीके से आपके मुँह में घुल जाती है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 फरवरी। पर्यावरण व्यवस्था को एक और बढ़ा झटका देते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अत्यधिक प्रदूषणकारी प्लास्टिक स्ट्रॉ से संबंधित एक सरकारी आदेश को पलटने वाले हैं। उनका कहना है कि कागज के स्ट्रॉ “काम नहीं करते।” ट्रम्प ने सोमवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा, “यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। हम प्लास्टिक स्ट्रॉ का उपयोग वापस ला रहे हैं।”

5 जून 2018 को, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत धूमधाम से घोषणा की थी कि भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त कर देगा, लेकिन 2025 तक भी इसका उपयोग हो रहा है, विक्रेता खुलेआम इसका उपयोग कर रहे हैं। 15 अगस्त 2019 को, स्वतंत्रता

■ अतः अब सोमवार को “प्लास्टिक स्ट्रॉ” के उपयोग को कानूनी तौर पर जायज़ करार करके ट्रम्प ने अपने “एग्जीक्यूटिव ऑर्डर” से सिंगल यूज “प्लास्टिक” के उपयोग को 2035 तक खत्म करने के अभियान को गहरा धक्का पहुँचा दिया है।

■ प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, हर मिनट में एक ट्रंक “प्लास्टिक वेस्ट” समुद्र में डाला जाता है तथा प्लास्टिक को पूर्णतया घुलने में 200 साल लगते हैं तथा वह समुद्र में “माइक्रो प्लास्टिक” में परिवर्तित होकर विद्यमान रहता है और अंततोगत्वा मछलियों, कछुओं व अन्य समुद्री वाइल्ड लाइफ के पेट में जाकर जम जाता है और मनुष्य की धमनियों व नसों में पहुँचता है।

दिवस पर राष्ट्र को अपने संबोधन में, मोदी ने अपने संकल्प को दोहराया और नागरिकों से “देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने” की अपील की। कई अमेरिकी राज्यों और शहरों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया है,

क्योंकि, ये महासागरों और जलमार्गों को प्रदूषित करते हैं और समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ रखाँ अब ग्राहकों को ऑटोमैटिकली प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं देते। लेकिन प्लास्टिक स्ट्रॉ, समस्या का केवल एक छोटा हिस्सा है।

सिंगल यूज प्लास्टिक से बने खाद्य और पेय कंटेनरों से पर्यावरण भरा हुआ है – पानी की बोतलें, टेकआउट कंटेनर, कॉफी के डबकन, शॉपिंग बैग्स और भी बहुत कुछ।

विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में हर मिनट एक कचरे के ट्रंक के बराबर प्लास्टिक महासागर में प्रवेश कर रहा है, जिसमें प्लास्टिक बैग्स, दूधब्राश, बोतलें, खाद्य पैकेजिंग और अन्य सामग्री शामिल है। जैसे-जैसे इस सामग्री का पर्यावरण में विघटन होता है, वैसे-वैसे माइक्रोप्लास्टिक्स मछलियों, पक्षियों और अन्य जानवरों के पेटों में, साथ ही मानव रक्त और ऊतकों में पहुँचती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादन से ग्रह को गर्म करने वाली ग्रीनहाउस गैसों और अन्य खतरनाक प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। नब्बे प्रतिशत से अधिक प्लास्टिक उत्पाद जीवाश्म ईंधनों, जैसे तेल और प्राकृतिक गैस से होता है, और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं करें’

नई दिल्ली, 11 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का डेटा डिलीट न किया जाए। शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम का डेटा कैसे सुरक्षित रखा जाता है और प्रक्रिया क्या होती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी

■ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश भी दिया कि इन मशीनों में नया डेटा भी नहीं डाला जाए।

डेटा डिलीट न किया जाए और न ही इसमें कोई नया डेटा डाला जाए। चीफ जस्टिस (सोबोआई) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को बर्न करने की प्रक्रिया क्या है। सीजेआई ने कहा, इसमें किसी तरह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका के विदेशी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने के एक तरफा निर्णय के खिलाफ चीन ने डबल्यू.टी.ओ. के समक्ष न्याय की गुहार की!

चीन के बाद हांगकांग ने भी अमेरिका के इस निर्णय के खिलाफ डबल्यू.टी.ओ. में शिकायत दर्ज की

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 11 फरवरी। अमेरिका की अधिक आक्रामक टैरिफ नीति के कारण, विश्व स्तर पर व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निष्पक्षता और स्थिरता बनाए रखने में डबल्यू.टी.ओ. की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। को भी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अमेरिकी शूल्क नीति के खिलाफ डबल्यू.टी.ओ. के विवाद निपटाने वाले तंत्र का इस्तेमाल करते हुए दस प्रतिशत शूल्क लगाने पर विरोध जताया था, इसके बाद हांगकांग ने घोषणा की कि वह अमेरिकी निर्णय के खिलाफ डबल्यू.टी.ओ. में औपचारिक शिकायत दर्ज करेगा। अमेरिका ने हांगकांग निर्मित

■ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्र लोबल टाइम्स ने चीन के डबल्यू.टी.ओ. के विवाद निवारण तंत्र के समक्ष अपनी शिकायत पेश करने को, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताया अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य की दृष्टि से।

■ अखबार ने यह भी आशा जताई कि डबल्यू.टी.ओ. की सभी सदस्य देशों के विचार लेकर निर्णय लेने की प्रथा मजबूत रहे, विशेषकर, आज के माहौल में जबकि, राष्ट्रपति ट्रम्प एकरतरफा निर्णय लेकर, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के काम करने की परम्परा व प्रथा पर भारी आघात कर रहे हैं, जिससे इकॉनॉमिक अस्थिरता बढ़ेगी।

आधारित सिद्धांतों के लिए चीन की भूमिका को मजबूत करते हैं।

डबल्यू.टी.ओ. विश्वव्यापी व्यापार प्रणाली की नींव के रूप में पहचाना जाता

है। विवादों को हल करने और व्यापार में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन द्वारा अमेरिकी शूल्क नीतियों को चुनौती देने के लिए इसका इस्तेमाल करना इस संगठन की प्रासंगिकता को दर्शाता है, भले ही वर्तमान में चुनौतियाँ क्यों न मौजूद हों। अपने खुद के व्यापार हितों की रक्षा करने के अलावा, चीन की शिकायत बहुपक्षीयता (मल्टीलैट्रलिज्म) के लिए उसके समर्थन की फिर से पुष्टि करती है और डबल्यू.टी.ओ. द्वारा प्रस्तुत पारदर्शिता, निष्पक्षता और नियम पालन के सिद्धांतों की रक्षा की आवश्यकता को उजागर करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के शासन में अपनाई गई आक्रामक शूल्क नीति पर धरेलू और अंतरराष्ट्रीय

स्तर पर भारी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की गईं। ट्रंप ने हाल ही में कई देशों पर पारस्परिक शूल्क लागू करने की योजना की घोषणा की है, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इससे वैश्विक व्यापार प्रणाली को भारी झटका लग सकता है। यदि यह नीति लागू होती है, तो यह संरक्षणावाद को बढ़ावा दे सकती है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती है और इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक परिणाम पड़ सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में कहा गया है कि डबल्यू.टी.ओ. के प्राधिकरण की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके सदस्य देशों के बीच बातचीत कर बताए गए व्यापार नियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की नींव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बस कंडक्टर के परिवाद पर पूर्व आईएस के खिलाफ एफआईआर के निर्देश

जयपुर, 11 फरवरी। जयपुर मेट्रो-द्वितीय की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व आईएस व बस कंडक्टर के बीच किराए को लेकर हुए विवाद व मारपीट से जुड़े आरोप मामले में पूर्व आईएस रामधन मीणा के खिलाफ कानूनता थाना पुलिस को राजकार्य में बाधा डालने

■ न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कंडक्टर व पूर्व आईएस के बीच किराये को लेकर हुए विवाद व मारपीट के मामले में ये निर्देश दिये।

सहित अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश बस कंडक्टर धनश्याम शर्मा के परिवार पर दिया। मामले से जुड़े अधिकता दीपक चौहान ने बताया कि परिवादी जेसीटीएसएल बस में कंडक्टर के पद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)